| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुयें |
|---|---|---|
| 06/04/26 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट उप०। पत्रावली में साबिक आदेश 17/12/24 की अनुपालना में अपीलांट अधिवक्ता अद्यतन स्थिति आवश्यक रूप से पेश करें। पत्रावली आइंदा दिनांक 20/04/26 को पेश हो।<br>अतिरिक्त जिला कलेक्टर<br>बाली, जिला-पाली | |
| 20/04/26 | पक्षकारान उप. आज पीठासीन अधिकारी PM visit पचपदरा में पधारे है। पत्रावली दिनांक 20/05/26 को पेश हो। | |
| 20-05-2026 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलाण्ट उपस्थित।<br>अधिवक्ता अपीलाण्ट की प्रकरण में बहस सुनी गई। प्रस्तुत अपील नायब तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 10/2021 में पारित आदेश दिनांक 12.10.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।<br>पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थी द्वारा इसी विषय–वस्तु के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका 9095/2022 प्रस्तुत की गई है, जिसमें तहसीलदार, सुमेरपुर भी पक्षकार/प्रतिवादी है। उक्त रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.07.2022 को आदेश पारित किया गया, जिसे दिनांक 14.07.2022 के आदेश द्वारा संशोधित कर अपीलार्थी को बेदखल करने बाबत् तहसीलदार सुमेरपुर के जैर अपील आलोच्य आदेश पर स्थगन आदेश जारी किया है। चूंकि इस अपील के माध्यम से प्रार्थी द्वारा जिस आलोच्य आदेश को चुनौति दी गई है, उसी कार्यवाही के विरुद्ध उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में भी पूर्वोक्त रिपोर्ट रिट याचिका प्रस्तुत की गई है तथा काबिल अधिवक्ता अपीलाण्ट के मौखिक कथनानुसार उक्त याचिका तथा स्थगन आदेश आदिनांक प्रवृत्त है।<br>अतः प्रस्तुत अपील निरर्थक हो जाने से निस्तारित की जाती है। साथ ही तहसीलदार, सुमेरपुर को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.2022 एवं संशोधित आदेश दिनांक 14.07.2022 की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णीत की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>अतिरिक्त जिला कलेक्टर<br>बाली, जिला-पाली | |